5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल केंद्र ग्वालियर

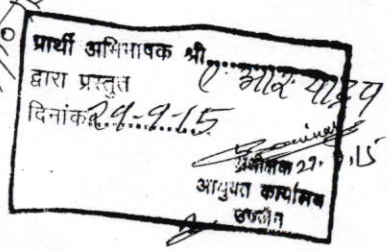

प्रकरण क्रं. /2014-15 निगरानी निग/3530-III-15

प्रार्थी अभिभाषक श्री ...... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29-9-15

नोध्यानबाई पति चांदमल, आयु-55वर्ष,
व्यवसाय-कृषि निवासी-सिंगोली
जिला मंदसौर ....आवेदिका

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, मंदसौर

2. प्यारचंद पिता लक्ष्मण, निवासी-ग्राम धोगवा तहसील जावद जिला मंदसौर

.....अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला मंदसौर के प्रकरण क्रं. 173/स्व. निगरानी/90-91 में आदेश दिनांक 28/02/1995 की जानकारी दिनांक से यह निगदानी अंदर अवधि प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्नालिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राथमिक दृष्टि में ही क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्ती योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया को न तो सुना गया और न ही उसकी और से अपना पक्ष समर्थन बाबत कोई सूचना किसी प्रकार की दी गई व प्रार्थिया की जानकारी में दिये बगैर आदेश पारित किया गया जबकि विवादित भूमि प्रार्थिया ने अनावेदक क्रं. 2 से विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 1994 में क्रय की है व क्रय दिनांक के पश्चात प्रार्थिया का विधिवत राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज हुआ व वर्तमान में प्रार्थिया ही उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है। इस बिंदू पर विचार किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

3. यह कि, इस प्रकरण में प्रार्थिया आवश्यक पक्षकार है क्योंकि प्रार्थिया ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है व वर्तमान में भूमि पर प्रार्थिया का ही

निरंतर...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3530–तीन/2015 जिला मन्दसौर

नोध्यानबाई विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–1–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। कलेक्टर मन्दसौर के आदेश दिनांक 28–2–1995 का अवलोकन किया। आवेदक ने अपने तर्क प्रश्नाधीन भूमि को 1994 में कय करना बताया है और कलेक्टर का आदेश वर्ष 1995 का है। स्पष्ट है आवेदक ने कलेक्टर द्वारा 20 वर्ष पुराने आदेश को इस न्यायालय चुनौती दी गई है। आवेदक का यह भी तर्क है कि आदेश पारित करते हुये आवेदक को किसी प्रकार से कोई सूचना कलेक्टर द्वारा नहीं दी गई है। किन्तु आवेदक का 20 वर्ष तक कलेक्टर के आदेश की जानकारी प्राप्त न होना विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में भी 20 वर्ष के विलम्ब का कोई ठोस आधार नहीं दिया है। अतः यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राय की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	